न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 01/2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025/2

प्रार्थीगण

1 लखाराम पुत्र हीराराम, जाति–
नाई, निवासी–डडुसन, तहसील–
सांचौर, जिला–जालोर
2 मांगीलाल पुत्र हीराराम फौत
के कायम मुकाम
ए–रवि पुत्र मांगीलाल, जाति–नाई
निवासी–डडुसन, तहसील–सांचौर
नाबालिंग जरिये कुदरती वलीया
माता लीला बेवा मांगीलाल, जाति–
नाई, निवासी–डडुसन, तह–सांचौर
बी–लीला बेवा मांगीलाल, जाति–
नाई, निवासी–डडुसन, तह–सांचौर
3 निम्बाराम पुत्र हीराराम
4 पुंजाराम पुत्र हीराराम
5 सुगणी देवी पत्नी हीराराम
जातियान–नाई, निवासीगण–
डडुसन, तहसील–सांचौर,
जिला–जालोर, (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रैक सांचौर (जालोर) जिला जालोर

अप्रार्थीगण

1 मंगला पुत्र दौला फौत के कायम एवं
रूपा पुत्र मंगला फौत के कायम मुकाम
ए–कसु पुत्र रूपा, जाति–नाई, निवासी–
डडुसन, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर
बी–ईसरा पुत्र रूपा, जाति–नाई, निवासी–
डडुसन, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर
सी–बाबु पुत्र रूपा, जाति–नाई, निवासी–
डडुसन, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर
डी–नरसी पुत्र रूपा, जाति–नाई, निवासी–
डडुसन, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर
ई–पांचा पुत्र रूपा, जाति–नाई, निवासी–
डडुसन, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर
2 बाबु पुत्र गणेशा
3 चम्पालाल पुत्र गणेशा
4 सुखराम पुत्र गणेशा,
जातियान–बिश्नोई, निवासीगण–डडुसन
5 सुआ पुत्री गणेशा पत्नी ईशराराम,
जाति–नाई, निवासी–डडुसन
6 शांति पुत्री गणेशा पत्नी बाबुलाल
जाति–नाई, निवासी–डडुसन, हाल निवासी–
डण्डाली तहसील–सिणधरी, जिला–बाड़मेर
7 पवन पुत्री गणेशा पत्नी बाबुलाल
जाति–नाई, निवासी–डडुसन, हाल–अरणाय
8 वीरमा पुत्र भूरा
9 श्रवण पुत्र भूरा
10 सुरेश पुत्र भूरा
11 सुआ बैवा भूरा
12 मोहन पुत्र नैना
13 हनुमान पुत्र खेता

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रैक) सांचौर

14 सोना उर्फ धुना दत्तकपुत्र प्रतापा,

15 जगदीश पुत्र खेता

16 केवला उर्फ कैलाश पुत्र खेता

जातियान–नाई, निवासीगण–डडुसन

तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

17 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार

सांचौर, जिला–जालोर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजू :– 17.12.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1(A,B,C,D,E,) की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद बालोत उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सुथार उपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 8, 12, 16, 17 बाद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 8/05/2026

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण मृतक मंगला पुत्र दोलता के कायम मुकाम रूपा पुत्र मंगला फौत के कायम मुकाम कसु, ईसरा, बाबु, नरसी, पांचा पिसरान रूपा वगैरह ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्व हम प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण श्रीमान की अदालत में दिनांक 04.08.2011 को पेश किया था, जो बाद कार्यालय टिप्पणी के मूल वाद संख्या 07/2007 दर्ज कर अन्वीक्षा शुरू की गई, तत्पश्चात् दिनांक 01.01.2015 को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जालोर के आदेश क्रमांक 445–457 दिनांक 02.06.2015 की पालना में ए.सी.एम. फास्ट–ट्रैक सांचौर को हस्तांतरित की गई जिससे मूल वाद संख्या 380/2014 दर्ज कर श्रीमान के न्यायालय में दर्ज होकर विचाराधीन था। हम प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के उक्त वाद में श्री गंगाराम बिश्नोई एडवोकेट को पैरोकारी के लिए रखा गया था लेकिन गंगाराम बिश्नोई एडवोकेट का निधन हो जाने से न्यायालय में हमारी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए तथा उक्त निधन होने की सूचना हमें नहीं मिली जिससे हमारे विरूद्व दिनांक 04.03.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जिसकी एडवोकेट का निधन हो जाने की जानकारी न्यायालय श्रीमान को थी जिससे न्यायालय की ओर से हम प्रार्थीगण को कोई विधिवत नोटिस जारी नहीं हुआ तथा न ही हमें कोई सुनवाई का समुचित अवसर हेतु विधिवत नोटिस तामिल

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रैक) सांचौर

करवाए जाने की विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई जिससे हमारे विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 04.03.2020 को की, जिसके आधार पर एकपक्षीय डिक्री आदेश दिनांक 21.07.2025 को पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व होने से अपास्तनीय योग्य है। हम प्रतिवादीगण जान बुझकर या बदनियती से गैर हाजिर नहीं रहे है। हमारे गैर हाजिर होने का संतोषजनक कारण पेश है जिससे एकपक्षीय आदेश डिक्री अपास्त करना न्यायहित में आवश्यक है। प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के तहत हमें सुनवाई का अवसर दिया जाना कानूनी आवश्यक है। हस्तगत वाद में प्रतिवादी संख्या 01–ब, ब–2 –अ रवी पुत्र मांगीलाल जो नाबालिग है। नाबालिग कुदरती वलीया माता को पक्षकार संयोजित नहीं कर नाबालिग के विरूद्व दावा डिक्री कर दिया, जो कानूनीया नहीं किया जा सकता जिससे वादीगण द्वारा प्रतिवादी के वारिशों को निर्धारित परिसीमा अवधि में रेकर्ड पर लेने के लिए आवेदन नहीं किया जिस पर हमें सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिला तथा नाबालिग के विरूद्व डिक्री आदेश व एकपक्षीय डिक्री आदेश शून्य है जिसका कोई कानूनीया निष्पादन नहीं किया जा सकता है। ऐसी सूरत में उक्त डिक्री आदेश कानूनीया अपास्तनीय योग्य है। इस प्रकार इन सारे तथ्यों की कानूनी अन्वीक्षा एवं साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु हमें सुना जाने हेतु एकपक्षीय डिक्री आदेश अपास्त फरमाया जाना कानूनीयां न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर हमारे विरूद्व जारी की गई एकपक्षीय डिक्री आदेश दिनांक 21.07.2025 को अपास्त फरमाकर हमें साक्ष्य सबूत, जवाब व सुनवाई का अवसर दिया जाकर वाद में अग्रिम कार्यवाही फरमावें।

भारतीय म्याद अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि अभी दिनांक 09.12.2025 को ईमित्र से जमाबंदी की निकलवाई तो अचानक जानकारी में आया की हमारे हिस्से में कसु वगैरह का नाम दर्ज कर दिया जिस पर हमने न्यायालय में आकर दिनांक 10.12.2025 को प्रमाणित नकलें प्राप्त की तो जानकारी में आया की हमारे विरूद्व एकपक्षीय डिक्री आदेश की कार्यवाही अमल में जाई जाकर एकपक्षीय डिक्री आदेश जारी किया गया जिसकी नकलें इत्यादि लेकर जानकारी में आने से यह प्रार्थना–पत्र जानकारी के तारीख से अन्दर म्याद पेश है। हम प्रतिवादीगण जानबूझकर या बदनियती से गैर हाजिर नहीं रहे है। हमारे गैर हाजिर होने का संतोषजनक कारण पेश है जिससे एकपक्षीय आदेश डिक्री अपास्त करना न्यायहित में आवश्यक है। प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के तहत हमें सुनवाई का अवसर दिया जाना कानूनी आवश्यक है। प्रार्थना–पत्र जानकारी के तारीख से अन्दर म्याद पेश सुमारने हेतु म्याद माफी का प्रार्थना–पत्र पेश है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का म्यादमाफी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर जानकारी की तारीख से अन्दर म्याद सुमारने हेतु म्याद माफी फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 01 मंगला के कायम मुकाम 1 (A,B,C,D,E,) की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रकरण में प्रार्थीगण लाखाराम

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

व स्व. मांगीलाल के कायम मुकाम रवि वगैरह, निम्बाराम, पूंजाराम, सुगणीदेवी की ओर से पेश किया गया है तथा प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण ने तथ्य उजागर किये गये है कि "एकपक्षीय निर्णय डिक्री दिनांक 21.07.2025 को अपास्त फरमावें" जबकि उक्त प्रकरण यानि मूल वाद संख्या 380/2014 मे प्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही न होकर प्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा सुनवाई का पूर्ण अवसर देने के पश्चात गुणावगुण पर ध्यान आकर्षित कर निर्णय व डिक्री विधिसम्मत पारित किया गया है। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 12.03.2007 को वकील श्री गंगारामजी बिश्नोई द्वारा वकलातनामा पेश कर दिनांक 09.04.2007 को उनकी ओर से जवाब दावा पेश किया गया जो पत्रावली पर मौजूद है तत्पश्चात दावा व जवाबदावा के आधार पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 15.03.2018 को तनकीयात कायम की जाकर वादीगण की साक्ष्य ली जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर गहनता से अध्ययन व अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय द्वारा विधि अनुसार निर्णय व डिक्री पारित करने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र आदेश 09 नियम 13 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. की ताईद में नहीं आने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र श्रीमानजी के क्षैत्राधिकार का नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र काबिल निरस्त है। प्रार्थीगण ने अपने पैरा संख्या 02 में एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 04.03.2020 को होना बताया है जबकि प्रकरण संख्या 380/2014 में दिनांक 13.01.2025 को लखाराम पुत्र हीरा, जाति–नाई की ओर से श्री प्रतापाराम बिश्नोई अधिवक्ता ने वकलातनामा पेश किया है तथा रवि पुत्र मांगीलाल, लीला बैवा मांगीलाल, नाई, निवासी–डडुसन को नोटिस जारी होने पर दिनांक 13.01.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई, लखाराम, रवि, लीला हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी संख्या 01 व 02 (ए,बी) है। इस प्रकार प्रार्थीगण ने एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 04.03.2020 को होना बताया है जो उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण द्वारा पेश किये गये तथ्य विरोधाभाषी की श्रेणी में आने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र काबिल निरस्त है। प्रार्थीगण ने अपने पैरा संख्या 02 में प्रार्थीगण की एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 04.03.2020 को होना बताया है जो प्रार्थीगण द्वारा लगभग 05 साल 09 माह की लम्बी अवधि के बाद उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया है तथा प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना–पत्र के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया गया है इस प्रकार 05 वर्ष 09 माह की लम्बी अवधि के बाद उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्पष्टतया म्याद बाहर होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र काबिल निरस्त है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र आधारहीन, विधिविरूद्व व पोषणीय नहीं होने से आज ही मय खर्चा खारिज फरमावें।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने मूल वाद संख्या 380/2014 में श्री गंगाराम बिश्नोई एडवोकेट को पैरोकारी के लिये रखा गया था लेकिन गंगाराम बिश्नोई एडवोकेट का निधन हो जाने से न्यायालय में प्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने तथा एडवोकेट के निधन होने की सूचना प्रार्थीगण को नहीं मिली जिससे प्रार्थीगण के विरूद्व दिनांक 04.03.

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) जिला जालोर

2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। न्यायालय को एडवोकेट के निधन की जानकारी होने के बावजूद प्रार्थीगण को कोई नोटिस नहीं दिया गया। प्रार्थीगण अनपढ़ मजदूरी पैशा व्यक्ति होने एवं पिछड़े गांव में कोई डाक आती जाती नहीं होने से प्रार्थीगण की कोई व्यक्तिगत तामील विधिक रूप से नहीं हुई है। प्रार्थी लखाराम के पुत्र घेवरराम का सड़क दुर्घटना में घायल होने से काफी समय तक उसका ईलाज करवाने में अस्पताल में रहने से प्रार्थीगण को पेशीयों पर उपस्थित नहीं रहने से मजबूरी रहने एवं अभी तक भी घेवरराम का ईलाज चल रहा है तथा लखाराम के सगा भाई हरिराम सन् 2020 में मृत्यु हो जाने से 06 माह तक प्रार्थीगण के समाज के रीति–रिवाज अनुसार शोक की जाजम एवं मेहमानों के आवभगत में रहने से एवं सदमें में रहने से न्यायालय में आना जाना नहीं होने से पेशियों की जानकारी नहीं होने से अनुपस्थित रहे तथा सन् 2018 में मांगीलाल पुत्र हीराराम की मृत्यु हो जाने से 06 माह तक रीति–रिवाज अनुसार मेहमानों के आव भगत में रहने एवं सदमें में रहने से न्यायालय में उपस्थित नहीं रहने से प्रार्थीगण के विरूद्व दिनांक 04.03.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 21.07.2025 का एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया जबकि दिनांक 09.12.2025 को ई–मित्र से जमाबंदी निकलवाई तो जानकारी हुई कि प्रार्थीगण के हिस्से में कुस वगेरह का नाम दर्ज कर दिया जिस पर दिनांक 10.12.2025 को न्यायालय में आकर नकलें प्राप्त करने पर पुख्ता जानकारी होने से उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के विरूद्व जारी की गई एकपक्षीय डिक्री निर्णय 21.07.2025 को अपास्त फरमाकर प्रार्थीगण के साक्ष्य, सबूत, जवाब का सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर वाद में अग्रिम कार्यवाही फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 (ए से ई) ने प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों का घोर विरोध करते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण लाखाराम व स्व. मांगीलाल के कायम मुकाम रवि वगैरह, निम्बाराम, पूंजाराम, सुगणीदेवी की ओर से उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया है जबकि मूल वाद संख्या 380/2014 में प्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही न होकर प्रार्थीगण को न्यायालय हाजा द्वारा सुनवाई का पूर्ण अवसर देने के पश्चात गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री विधिसम्मत पारित किया है। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 12.03.2007 को वकील श्री गंगाराम बिश्नोई द्वारा वकलातनामा पेश कर दिनांक 09.04.2007 को उसकी ओर से जवाबदावा पेश किया है तत्पश्चात दावा व जवाबदावा के आधार पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में प्रकरण में दिनांक 15.03.2018 को तनकीयात कायम की जाकर वादीगण की साक्ष्य ली जाकर गुणावगुण के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित किया गया है तथा प्रार्थीगण ने एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 04.03.2020 को होना बताया है जबकि उक्त प्रकरण में दिनांक 13.01.2025 को लखाराम पुत्र हीरा, जाति–नाई की ओर से प्रतापाराम बिश्नोई एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया है तथा रवि, लीला को नोटिस जारी होने पर दिनांक 13.01.2025 को नोटिस जारी होने पर दिनांक 13.01.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई लखाराम, रवि, लीला हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी संख्या 1 व 2 (ए, बी) है इस प्रकार

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
फास्ट ट्रेक
सांचौर (जालोर)
जिला जालोर

प्रार्थीगण ने एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 04.03.2020 को होना बताया है जो उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण द्वारा पेश किये गये तथ्य विरोधाभाषी की श्रेणी में आने से एवं प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र में एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 04.03.2020 को होना बताया है जो प्रार्थीगण द्वारा लगभग 5 साल 9 माह की लम्बी अवधि के बाद उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो म्याद बाहर है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र आधारहीन, विधिविरूद्व व पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमावें। अप्रार्थी की ओर से प्रकरण में नजीरें पेश की 1 आर. आर.टी 2016 (2) पेज संख्या 1267 Rom Industries Ltd v/s Firm m/s Sugan chanl Hanuman Das, 2 आर.आर.टी 2013 (2) पेज संख्या 1219 गोरीशंकर बनाम रामसराह, 3 आर.आर.टी. 2018 (2) पेज संख्या 1316 छगनलाल बनाम सुरेश चौहान, 4 आर.आर.टी 2009 (1) पेज संख्या 241 मगनसिंह एण्ड अन्य बनाम लटूर एण्ड अन्य, 5 आर.आर.टी 2014 (2) पेज संख्या 1034 बाबुलाल एण्ड अन्य बनाम रतिराम एण्ड अन्य, 6 आर.आर.टी 2014 (2) पेज संख्या 1101 श्यामलाल बनाम चन्दुकला, 7 आर.आर.टी 2012 (1) पेज संख्या 217 जगन एण्ड अन्य बनाम सोहन एण्ड अन्य, 8 आर.आर.टी 2011 (1) पेज संख्या 105 राधेश्याम बनाम चतुर्भूज एण्ड अन्य, 9 आर.आर.टी 2016 (1) पेज संख्या 216, 280 प्रेमदेवी बनाम नाथु, 10 आर.आर.टी 2016 (2) पेज संख्या 1017 सरस्वती एण्ड अन्य बनाम विजेन्द्र एण्ड अन्य।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान् की बहस सुनी जाकर उस पर मनन किया गया एवं प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र व वाद संख्या 380/2014 के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.07.2025 का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रकरण के मूल वाद संख्या 380/2014 जो पूर्व में सहायक कलक्टर सांचौर के न्यायालय में कसु वगैरह बनाम गणेशा वगैरह के नाम से दर्ज होकर जिला कलक्टर महोदय, जालोर के आदेश से उक्त प्रकरण इस न्यायालय में स्थानान्तरित हुआ तथा दिनांक 21.07.2025 को निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। प्रकरण में प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र में बताया है कि प्रार्थीगण के विरूद्व दिनांक 04.03.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है तथा प्रार्थीगण को डाक से कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है तथा प्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। हमने प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा पेश प्रकरण संख्या 380/2014 कसु बनाम गणेशा वगैरह की पत्रावली का अवलोकन किया जिससे दिनांक 12.03.2007 को प्रतिवादी संख्या 1 के अ, ब, 1 से 6 व द व 2 (अ), 3 की ओर से वकील श्री गंगाराम बिश्नोई ने वकलातनामा पेश किया जो प्रवितादी संख्या 1 नैना के कायम मुकाम (अ) गणेशा, ब–हीरा के कायम मुकाम प्रवितादी संख्या 1 लगायत 6 लखाराम, मांगीलाल निम्बा, हरी उर्फ हीराराम, पूंजाराम, सुगणी, (द) मोहन, 2 (अ) धनी, 3 (अ से 5), हनुमान, सोना, जगदीश, केवला है तथा दिनांक 07.04.2007 को उपरोक्त प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा पेश किया गया तथा दिनांक 15.03.2018 को दोनों पक्षों के दावे व जवाबदावें के आधार पर तनकी कायम की गई। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी संख्या 1 लखाराम प्रार्थी संख्या 2

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) जिला जालोर

मांगीलाल के कायम मुकाम अ–रवि व बी–लीला, प्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 निम्बाराम, पूंजाराम व सुगणी है जो मूल प्रकरण संख्या 380/2014 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 पक्षकार के रूप में संयोजित थे यानि प्रार्थीगण लखाराम, रवि व लीला के पिता/पति मांगीलाल, निम्बाराम, पूंजाराम व सुगणी देवी के नोटिस व्यक्तिगत तामील होने से उसके द्वारा श्री गंगाराम बिश्नोई को वकील नियुक्त किया तथा उसकी ओर से जवाबदावा भी पेश किया गया तथा जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम की गई। इसी प्रकार प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र में बताया है कि उनके विरूद्व दिनांक 04.03.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, जबकि प्रकरण संख्या 380/2014 की आदेशिक दिनांक 13.01.2025 के अनुसार प्रतिवादी लखाराम पुत्र हीरा की ओर से वकील श्री प्रतापाराम बिश्नोई ने वकालतनामा पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 2 मांगीलाल के कायम मुकाम अ व ब रवि, लीला के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इस प्रकार प्रार्थीगण ने एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 04.03.2020 को होना बताया है जो उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण द्वारा पेश किये गये तथ्य विरोधाभाषी की श्रेणी में आता है जो स्पष्ट है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र में एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 04.03.2020 को होना बताया है तथा निर्णय व डिक्री दिनांक 21.07.2025 को हुई है यानि प्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही जो लगभग 5 वर्ष 9 माह पूर्व होने के इतने लम्बे अंतराल के बाद प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया जो अधिक देरीना पेश किया गया है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 (ए से ई) के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त बिन्दूओं के संबंध में नजीरें पेश की है जिसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। आर.आर.टी 2016 (2) पेज संख्या 1267 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नहीं हुए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पूर्व में उपस्थित हुए किन्तु बाद में उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 30.07.2008 को एकपक्षीय डिक्री स्वीकार की दिल्ली के समाचार पत्र में नोटिस सही प्रकाशित किया विलम्ब के लिए ठोस या पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं, आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी का प्रार्थना–पत्र सही खारिज किया।

हस्तगत प्रकरण में भी प्रार्थीगण लखाराम, रवि व लीला के पिता/पति मांगीलाल, निम्बाराम, पूंजाराम, सुगणी भी मूल प्रकरण संख्या 380/2014 में उपस्थित होकर वकील के जरिये वकालतनामा व जवाबदावा भी पेश करवाया तथा प्रार्थी रवि व लीला के नोटिस डाक से तामील होने पर दिनांक 13.01.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण मूल वाद में एक बार भी उपस्थित नहीं हुए यह नहीं कहा जा सकता है प्रार्थीगण ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जवाबदावा पेश किया गया जो प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी की ताईद में नहीं आता है तथा उक्त नजीर हस्तगत प्रकरण में चस्पा होती है। इसी प्रकार आर.आर.टी 2013 (2) पेज संख्या 1219

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) राजस्थान जिला जालोर

में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि अपील पेश करने में 649 दिनों का विलम्ब अपीलाण्ट स्वयं ने प्रकरण की प्रगति के बारे में वकील से सम्पर्क नहीं किया अपीलाण्ट स्वयं घोर लापरवाही का दोषी है। मुकदमा संख्या 380/2014 प्रकरण में भी प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 12.03.2007 को वकालतनामा व दिनांक 09.04.2007 को जवाबदवा पेश किया हुआ था, परन्तु प्रार्थीगण ने अपने अधिवक्ता से कभी भी सम्पर्क किया हो। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र में स्पष्ट कारण पेश नहीं किया है तथा प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार प्रार्थीगण की एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 04.03.2020 को होने व दिनांक 21.07.2025 को एकपक्षीय निर्णय व डिक्री होने से प्रार्थीगण द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही के लगभग 5 वर्ष 9 माह की देरीना उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्व आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी का प्रार्थना–पत्र पेश किया है परन्तु उक्त प्रार्थना–पत्र में भी कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर इतनी लम्बी देरीना आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र पेश किया जो उक्त प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी की श्रेणी में नहीं आता है तथा उक्त नजीर हस्तगत प्रकरण में चस्ता होती है। आर.आर.टी 2008 (2) पेज संख्या 1316 में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिये परिसीमा डिक्री की दिनांक से 30 दिन है। परिसीमा डिक्री दिनांक से प्रारम्भ होती है न कि जानकारी की दिनांक से क्योंकि सम्मन पहले ही तामिल हो चुका था। इस प्रकार धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन की अनुपस्थिति में उदार रूख नहीं लिया जा सकता। प्रकरण संख्या 380/2014 में भी प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 12.03.2007 को वकालतनामा व दिनांक 09.04.2007 को जवाबदावा पेश किया जा चुका था तथा दावे व जवाबदावें के आधार पर दिनांक 15.03.2018 को तनकी कायम कर साक्ष्य सबूत के आधार पर दिनांक 21.07.2025 को निर्णय व डिक्री पारित की गई यानि प्रार्थीगण की जानकारी के लगभग 18 वर्ष बाद उक्त निर्णय व डिक्री को एकपक्षीय बताकर इस न्यायालय में उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है जो प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. की श्रेणी में नहीं आता है तथा उक्त नजीर हस्तगत प्रकरण में लागु होती है। आर.आर.टी 2009 (1) पेज संख्या 241 में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीलाण्ट ने अपीलाण्ट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त कराने के लिये जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है वह 2 वर्ष उपरान्त पेश किया है जो विलम्ब से पेश किया गया प्रार्थना–पत्र माना जायेगा। इस प्रकार प्रकरण संख्या 380/2014 में भी प्रार्थीगण के कथनों अनुसार दिनांक 04.03.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही होने के लगभग 5 वर्ष 9 माह की लम्बी अवधि के बाद उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया है तथा प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र व धारा 5 म्याद अधिनियम में संतोषप्रद कारण दर्शित नहीं करने से प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना–पत्र म्याद बाहर की श्रेणी में आता है तथा उक्त नजीर हस्तगत प्रकरण में लागू होती है। आर.आर.टी 2014 (2) पेज संख्या 1034 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रकरण के

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

हस्तांतरण के बाद भी एडवोकेट उपस्थित हुआ लेकिन बाद में हाजिर नहीं हुआ एडवोकेट की चूक का लाभ नहीं लिया जा सकता। इस प्रकार इस प्रकरण संख्या 380/2014 में भी दिनांक 12.03.2007 को एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश करना व दिनांक 09.04.2007 को जवाबदावा पेश करना उल्लेखित होने से एडवोकेट की चूक का लाभ प्रार्थीगण को नहीं दिया जाने से उक्त नजीर भी हस्तगत प्रकरण में लागू होती है। आर.आर.टी 2014 (2) पेज संख्या 1101 में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान ने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि जब प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपसंगत होने के लिए और वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था तो वह एकपक्षीय डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि सम्मन की तामील में अनियमितता हुई थी। इस प्रकार प्रकरण संख्या 380/2014 में भी प्रतिवादी/प्रार्थीगण को वाद पेश करने की पूर्ण जानकारी होने से बावजूद प्रार्थीगण स्वंय की लापरवाही के कारण प्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय डिक्री पारित हुई है उसे इस आधार पर निरस्त नहीं की जा सकती है तथा उक्त नजीर भी हस्तगत प्रकरण में लागू होती है। आर.आर.टी 2016 (2) पेज संख्या 1017, आर.आर.टी 2012 (1) पेज संख्या 217 व आर. आर.टी 2011 (1) पेज संख्या 105 में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान ने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि जब पक्षकार एक बार न्यायालय में उपस्थित होता है तथा जवाबदावे के लिये कई बार अवसर देने के बाद उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय पारित किया जाता है तो उस पक्षकार के विरूद्व उक्त निर्णय व डिक्री एकपक्षीय की श्रेणी में नहीं आती है। इस प्रकार प्रकरण संख्या 380/2014 में भी प्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा व जवाबदावा पेश हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के विरूद्व दिनांक 21.07.2025 का निर्णय व डिक्री एकपक्षीय की श्रेणी में नहीं आती है तथा उक्त नजीरें भी हस्तगत प्रकरण में स्पष्ट रूप से लागू होती है। आर.आर.टी 2016 (1) पेज संख्या 216 व 280 में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान ने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि तामील की प्रक्रिया में कोई त्रुटि है तो न्यायिक दृष्टान्तों को ध्यान में रखते हुए विधिवत् पारित डिक्री निरस्त नहीं की जा सकती। अप्रार्थी का पता आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के प्रार्थना–पत्र में भी वही है जो मूल दावे में था। ऐसी स्थिति में विधिसम्मत डिक्री को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार प्रकरण संख्या 380/2014 में भी प्रार्थीगण की व्यक्तिगत तामील होने के बाद वकालतनामा व जवाबदावा पेश किया गया है तथा लम्बे समय के बाद हाजिर नहीं रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई व दावे में तथा हस्तगत प्रकरण में भी प्रार्थीगण का पता एक ही बताया गया होने से प्रार्थीगण के विरूद्व दिनांक 21.07.2025 का निर्णय व डिक्री एकपक्षीय की श्रेणी में नहीं आता है तथा उक्त नजीरें भी हस्तगत प्रकरण में लागू होती है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) जिला जालोर

इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. सपठित धारा 51 सी.पी.सी की श्रेणी में नहीं आने से तथा प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं होने से प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

:– आदेश –:

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी सपठित धारा 151 सी.पी.सी का एतद्द्वारा खारिज किया जाता है। पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन् करें। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस)**
सहायक कलक्टर फास्ट–
ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रैक) सांचौर

निर्णय आज दिनांक 8.5.2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर फास्ट–
ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रैक) सांचौर